भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1684
बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

खारे जल का अलवणीकरण

1684 . श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री नायब सिंह सैनी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खारे पानी के अलवणीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अलवणीकरण संयत्र स्थापित करने के लिए कोई विदेशी सहायता लेने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास खारे पानी वाले क्षेत्रों की निगरानी या पहचान करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है और यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जल प्रौद्योगिकी पहल के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में समाधान प्रदाताओं के नामांकन के लिए आवाहन किया है तथा वैश्विक और राष्ट्रीय अलवणीकरण प्रौद्योगिकियों की स्थिति बताने के लिए वर्ष 2019 में एक संग्रह संकलित और प्रकाशित किया है। डीएसटी ने विभिन्न संस्थानों/उद्योगों और देश के अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में प्रयोगशाला/पायलट पैमाने पर और परीक्षण पटल जैसे कि मल्टी इफेक्ट डिसेलिनेशन (MED), रिवर्स ऑस्मोसिस (RO), और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस (FO), आदि पर विभिन्न नवाचारी और अनुकूलित विलवणीकरण समाधानों का प्रदर्शन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) के माध्यम से समुद्री जल को पेय जल में बदलने के लिए निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (LTTD) तकनीक विकसित की है जिसे लक्षद्वीप द्वीपसमूह और तटीय बिजली संयंत्रों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, जल आपूर्ति राज्य का विषय है और पेयजल के लिए विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना सहित जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, अनुमोदन और कार्यान्वयन करने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास निहित है।
(ख) जी नहीं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं ली है।
(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खारे पानी वाले क्षेत्रों की निगरानी या पहचान नहीं करता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के जल जीवन मिशन, IS:10500 के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाना है और राज्यों/संघ शासित राज्यों को वर्ष में एक बार रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए पेयजल स्रोतों का परीक्षण करने और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार परीक्षण करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 4 बस्तियों में लवणता प्रभावित पेयजल स्रोत हैं।
(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भूजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा है।

****